...ालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

...न सख्या : 15/2014

रामलाल पुत्र चतरा माली निवासी मांगरोल तह0 मांगरोल जिला बारां

......वादी

♠ बनाम ♠

01. छीतर पुत्र चतरा जाति माली निवासी अमरपुरा कोयला तहसील बारां जिला बारां
02. पाना बाई पत्नि राधाकिशन जाति मीणा निवासी गणेशपुरा तह0 मांगरोल जिला बारां
03. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 188 व 53 आर0टी0एक्ट0

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)
वकील वादी : श्री मनोज कुमार गालव
वकील प्रतिवादीगण : श्री महेन्द्र सिंह हाडा
दायरा दिनांक: 30.01.2014

निर्णय दिनांक : 08.01.2018

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी की पुश्तैनी पैतृक आराजी खाता संख्या 327 खसरा नं0 2141 रकबा 0.67 है0, खसरा नं0 2469 रकबा 0.77 है0, खसरा नं0 2497 रकबा 0. 19 है0, खसरा नं0 2498 रकबा 0.24 है0, खसरा नं0 2499 रकबा 0.06 है0, खसरा नं0 2502 रकबा 0.05 है0, खसरा नं0 3390 रकबा 0.35 है0, खसरा नं0 3391 रकबा 0.40 है0 कुल किता 8 रकबा 2.73 है0 वाके माल मांगरोल तह0 मांगरोल जिला बारां में वादी व प्रतिवादीगण के खाते दर्ज हो रही है। वादी व प्रतिवादी कम 1 आपस में सगे भाई है प्रतिवादी कम 1 लगभग 30 वर्ष पूर्व ही वादी के पक्ष में हक त्याग कर सन्यास ग्रहण कर चला गया और आज तक कभी वापस नही लोटा लगभग 30 वर्षो से उसके जीवित/मृत होने की कोई जानकारी नही है। वादी एक मात्र तन्हा 3/8 हिस्सा आराजी पर तन्हा काबिज काश्त होकर शांति पूर्वक काश्त करता चला आ रहा है, इस प्रकार वादी 3/8 हिस्सा आराजी पर तन्हा मालिक स्वामी व अधिकारी है तथा प्रतिवादी कम 1 का एक मात्र रक्त संबंधी विधिक उत्तराधिकारी है। वादी हाल ग्राम कोयला तहसील बारां में निवास करता है और इसी का फायदा उठाकर प्रतिवादी कम 2 वादी की उपरोक्त वर्णित आराजी हिस्सा 3/8 पर कब्जा करने का आये दिन प्रयास करती रहती है तथा वादी के हिस्से में मदालखत करती रहती है शामलाती खाता होने से आये दिन वादी की हिस्सा आराजी की मेड तोडकर अपने हिस्से में मिलाने का प्रयास कर रही है इसलिये वादी अब अपना खाता शामलाती नही रखना चाहता है। और खाता पृथक कराकर पृथक से अपने खाते दर्ज कराना चाहता है ताकि भविष्य में कोई विवाद पैदा न हो। राजस्व जमाबंदी में दर्ज नाम केसर बेवा चतरा की दिनांक 25.07.2011 को ग्राम कोयला में मृत्यु हो

वादी व प्रतिवादी क्रम 1 की माता थी जिसका नाम खारिज किया जाना न्याय संगत होगा तथा लम्बे कब्जे काश्त एवं प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा वादी के पक्ष में 30 वर्ष पूर्व हक तर्क कर दिया था र सन्यास ग्रहण कर चला गया जिसका वादी एक मात्र उत्तराधिकारी एवं वारिस होने से अपने पक्ष में घोषणा कराने का अधिकारी है। अतः वाद के पक्ष में एवं विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की डिक्री सादिर फरमावे कि उक्त वर्णित आराजि ग्राम मांगरोल खाता संख्या 327 कुल किता 8 रकबा 2.73 है0 राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी क्रम 1 के हिस्से की घोषणा वादी के पक्ष में की जावे केसर बेवा चतरा का नाम खारिज किया जावे एवं वादी को सम्पूर्ण 3/8 हिस्सा आराजी का खातेदार घोषित किया जावे एवं वाद–पत्र में वर्णित आराजी कुल किता 8 रकबा 2.73 है0 में से वादी की पारिवारिक 3/8 हिस्सा आराजी पृथक की जाकर पृथक से वादी के खाते दर्ज की जावे तथा पृथक से लगान कायम किया जावे। एक स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की प्रसारित की जावे कि प्रतिवादी क्रम 2 वादी के हिस्सा आराजी पर कब्जा करने का प्रयास ना करे वादी के कब्ज काश्त की आराजी में दखल अंन्दाजी ना तो स्वंय करे ना ही अपने प्रतिनिधि से करावें।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 188 व 53 आर0टी0एक्ट द्वारा श्री रामलाल पुत्र चतरा माली निवासी मांगरोल की रोशनी में प्रतिपक्षीगण क्रमशः 1 लगायत 2 को अपने पक्ष की सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत हेतु जर्ये सम्मन तलब किया गया जिसकी तामीली प्रति शामिल फाईल है। बावजूद सूचना प्रतिवादीगण आज दिनांक को बरवक्त सुनवाई तीन मर्तबा रूक–रूककर आवाज दिलवाई गई। तदुपरान्त भी कोई प्रतिपक्षी उपस्थित नही हुआ। इसी प्रकार वादी पक्ष की ओर से श्री रामलाल पुत्र चतरा माली निवासी मांगरोल भी अनुपस्थित।

हमारे द्वारा पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। संलग्न दस्तावेजो पर मनन करने के पश्चात न्यायालय इस निर्णय पर पहुचा है कि उक्त प्रकरण अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 188 व 53 आर0टी0एक्ट द्वारा श्री रामलाल पुत्र चतरा माली निवासी मांगरोल वादी पक्ष व प्रतिवादी पक्ष के अनुपस्थित में अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.01.2018 को सरेइजलास मजमेंआम में सुनाया गया।